न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 18/2012

(1) श्री राजेन्द्र पुत्र हनुमान दास

(2) श्रीमती तुलसी बेवा बंशीदास

(3) गिरधारी पुत्र बंशीदास

(4) भंवरलाल पुत्र घीसादास

समस्त जाति साधू निवासी मगरा तहसील व जिला, अजमेर।

....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः-

1. श्री विकास पाराशर अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री .....अभिभाषक (रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय

दिनांकः- 07.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

आज ग्राम मगरा के नामान्तरकरण संख्या 114 की स्वीकृति के लिये पत्रादि प्रस्तुत हुए। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मगरा तहसील, अजमेर ने दिनांक 03.09.2017 को देव स्थान विभाग के पत्रांक 91 दिनांक 06.03.2003, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्रांक 2278-96 दिनांक 19.03.2003, 1603 दिनांक 19.03.2004, 9544-97 दिनांक 06.08.2007 तहसील अजमेर के पत्रांक 1134-43 दिनांक 01.03.2007, 1673-82 दिनांक 20.03.2003, 5991-6000 दिनांक 04.08.2007 एवं 6148-227 दिनांक 08.08.2007 आदि के सन्दर्भ से ग्राम मगरा के खाता संख्या 75, 25, 140 एवं 74 के कुल खसरे किता 15 रकबा 33-12-10 बीघा को श्रीमती तुलसी,

तहसीलदार, अजमेर

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner

गिरधारी, भंवरलाल राजेन्द्र व मु. सुन्दर वगैरह खातेदारान के बजाय मन्दिर श्री मनोहर जी महाराज वाके देह के नाम दर्ज कराने हेतु नामान्तरकरण संख्या 114 मरकर पेश किया जिसको-भू.अ.नि. की जांच उपरान्त तत्कालीन नायब तहसीलदार (द्वितीय), अजमेर ने कलेक्ट्रेट आदेश एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.03.2003 की अनुपालना में दिनांक 13.09.2007 को स्वीकृत कर दिया।

खातेदार राजेन्द्र, वगैरह द्वारा उक्त आदेश से आहत होकर जिला कलेक्टर अजमेर के न्यायालय में नामा संख्या 114 में दिनांक 13.09.2007 को किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें पक्षकारान की सुनवाई करने के पश्चात जिला कलेक्टर, अजमेर ने दिनांक 23.11.2012 को नामान्तरकरण संख्या 114 में दिनांक 13.09.2007 के आदेश को विधि सम्मत नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया तथा नामान्तरकरण पत्रादि को इन निर्देशों के साथ वापिस प्रतिप्रेषित किया कि हितबद्ध/सम्बन्धित पक्षकारान को सम्पूर्ण साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त तथ्यों बाबत जांच/जानकारी करने के बाद उक्त नामान्तरकरण संख्या 114 में नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे।

उक्त आदेश की पालना में पुनः हितबद्ध पक्षकारों को पृथक-पृथक सूचना भेजकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। नायब तहसीलदार, अरडका द्वारा पटवारी हल्का मगरा की वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट दिनांक 22.12.2014 मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.03.2017 एवं जमाबंदी सम्वत् 2071-74 की प्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की नकलें प्रस्तुत की गई।

श्री राजेन्द्र वगैरह अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा उनके पूर्वज श्री किशनदास वैष्णव से अपीलकर्ताओं तक के वंशजों की वंशावली का सजरा प्रस्तुत किया गया तथा खतौनी जमाबंदी फसली सन् 1315 (30 साला) 1349, 1359 जमाबंदी खेवट (खतौनी)सम्वत् 2013 से 2016, 2015, 2021 से 2024, 2025 से 2028, 2041 से 2044 खेवट (10 साल) जमाबंदी 20 साला एवं 30 साला, रियासत किशनगढ़ की सम्वत 1985, सम्वत् 1992, सम्वत् 1997, सम्वत् 1998, सम्वत् 2001, सम्वत् 2002 एवं सम्वत् 2003 में जमा कराई गई मालगुजारी रसीदात एवं पश्चात्वर्ती विभिन्न वर्षों में लगान आदयगी की रसीदें (P-33) कोर्ट ऑफ वार्डस की रसीद माह दिसम्बर सन् 1942 फर्द मुतालबा सन फसल 1359, भू-प्रबन्ध विभाग का पर्चालगान (पट्टा) राजस्थान सरकार का परिपत्र 1359, भू-प्रबन्ध विभाग का पर्चालगान (पट्टा), राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक

तहसीलदार, अजमेर

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

तहसीलदार, अजमेर

Scanned with CamScanner

24.05.2007, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का आदेश दिनांक 06.01.2010 आदि पत्रादि को नकलों के अलावा लिखित/मौखिक बहस उल्लेखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपारित अवधारणाओं से सम्बन्धित नजीरों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की गई जो संलग्न पत्रावली है।

दौराने बहस राजकीय पेरोकार ने साबिक/हाल रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति जाँच रिपोर्ट के आधार पर व्यक्त किया कि इस भूमि में मौके पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमान दास, गिरधारी पुत्र बंशीदास, तुलसी बेवा बंशीदास, भंवरलाल पुत्र घीसादास वगैरह की काश्त कर रहे हैं किन्तु पूर्व में तहसील कार्यालय के संधारित रजिस्टर में उक्त समस्त भूमि को मन्दिर श्री मनोहर जी महाराज वाके देह के खाते में लिखा हुआ है। इसलिए उपरोक्त भूमि को नामान्तरकरण संख्या 114 के द्वारा मन्दिर श्री मनोहर जी महाराज के नाम से रिकॉर्ड में अन्तरित/दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। अतः अब राज्यादेशों के अनुसरण में नामान्तरकरण संख्या 114 को पुनः स्वीकृत किया जाने का आदेश दिया जावे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद (पक्षकारान) के अभिभाषक ने जवाब एवं लिखित/मौखिक बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत रेकॉर्ड की रूह से व्यक्त किया कि मौका जांच रिपोर्ट में जिन व्यकितयों का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त बताया गया है, वह सभी प्रार्थीगण ही है तथा प्रस्तुत सजरे के अनुसार अपने पूर्वज श्री किशनदास जी वैष्णव के खानदान में उनके वंशज/विधिक उत्तराधिकारी ही है अर्थात् सभी प्रार्थीगण एक ही परिवार/खून के रिश्ते में है। प्रश्नगत समस्त भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का ही पीढी दर पीढी कदीमी रूप से खुद काश्त का अंकन होता आ रहा है तथा प्रचलित प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारी अन्तरण होने का इन्द्राज होता आ रहा है। अप्रार्थी के पूर्वजों ने भूतपूर्व किशनगढ रियासत में सम्वत् 1985 (अर्थात् 89 साल पहले) एवं तदन्तर सम्वत् 1992, सम्वत् 1997, सम्वत् 1998, सम्वत् 2001, सम्वत् 2002 एवं सम्वत् 2003 में भी राज की मालगुजारी चुकाई है इस कथन की संलग्न मालगुजारी/लगान की रसीदों (P-33) के अवलोकन से बखूबी पुष्टि होती है। यह उल्लेखनीय है कि समय-समय पर शासन द्वारा रेकॉर्ड के रूप में संधारित खेवट 10 साला, 20 साला, 30 साला खतौनी फसली सन् 1315, 1349, 1359 एवं फर्द मुतावक्त फसली सन् 1359, भू-प्रबन्धक द्वारा जारी पर्चा लगान (पट्टा), जमाबंदी खेवट खतौनी सन् 2013 से 2016, 2015, 2021 से 2024, 2025 से 2028, 2041 से 2044 एवं समय-समय पर खसरा नम्बरों/रकबे में परिवर्तन वाले मिलान क्षेत्रफल

तहसीलदार, अजमेर

प्रमाणित प्रथा प्रतिलि

Scanned with CamScanner

आदि अनेकानेक अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम बतौर कदीमी खुदकाश्त/खातेदार के रूप में दर्ज होता रहा है। स्वयं नायब तहसीलदार ने भी पटवारियों की मौका स्थित जांच की दोनों रिपोर्ट में यह पाया। स्वीकार किया है कि वर्तमान में भी उपरोक्त समस्त भूमि पर नामान्तरकरण संख्या 114 के कॉलम संख्या (07) में लिखित प्रार्थी खातेदारान का ही अरसे दराज से मुतबतिर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 24.04.1982 एवं निरन्तरता में अनेक परिपत्र जारी करके मन्दिर मूर्ति की खातेदारी का अवैध हस्तान्तरण होने की स्थिति में ही तथा सम्बन्धित परिविष्टियों को विलोपित करने के आदेश दिये है लेकिन हस्तगत मामले ने प्रश्नगत भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई अवैध हस्तान्तरण नहीं हुआ है अपितु प्रार्थीगण के पूर्वजों से विधिक उत्तराधिकारी के नामों का पीढी दर पीढी भूमि का अन्तरण हुआ है। इस प्रकार पूर्व में राजस्व कर्मियों/अधिकारियों ने राज्यादेशों की मंशा के अनुरूप कार्यवाही नहीं की है। वस्तुतः राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 दिनांक 18.02.1952 को ही प्रभाव में आया था। उस समय हस्तगत मामले की भूमि माफी मन्दिर मनोहर जी की खुदकाश्त ने दर्ज नहीं बल्की काश्तकार कॉलम में अप्रार्थीगण के पूर्वजों (हक–अधिकारियों) के नाम से ही खुद काश्त में दर्ज थी। ऐसी स्थिति में 1952 के अधिनियम की धारा–9 के तहत ऐसे काश्तकार (Tenancy Act 1955 के प्रभाव में आने पर धारा 15 के तहत) विधिक रूप से खातेदार हो गये थे। इस प्रकार 1952 के अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्वज ही भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे, इसलिये पश्चात्वर्ती जमाबंदी/रेकॉर्ड में प्रार्थीगण उत्तराधिकारी के नाम से किये गये इन्द्राजों को विधिवत् गलत नहीं माना जा सकता है। इस कम में अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित दृष्टान्तों के अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अनेकानेक संलग्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों अवधारणाओं की नजीरों को भी प्रस्तुत किया है। दौराने बहस यह भी उल्लेख किया गया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पूर्व आदेशों की निरन्तरता में कमांक 3(2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 का नवीनतम परिपत्र जारी किया गया है जिसकी पालना में स्वयं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आदेश कमांक राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 को जारी करके निर्देश दिये कि अब राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अन्तिम तौर पर

तहसीलदार, अजमेर

प्रमाणित छाया प्रतिलि

Scanned with CamScanner

व्यवस्था सुनिश्चित का दी है कि जागीर अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की जो किसी व्यक्ति के नाम से खातेदार पट्टेदार खादीमदार आदि के रूप में दर्ज थी, उसमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरण अधिकार होंगे। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः राजस्व रेकॉर्ड ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में ही दर्ज रहेगा। उक्त आदेशों की दृष्टिगत अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा व्यक्त किया गया कि जागीर अधिग्रहण के समय प्रार्थीगण के पूर्वज प्रश्नगत-भूमि के खातेदार थे। इसलिये उक्त राज्यादेशों के विविधक परिपेक्ष में भी वह खातेदार ही है। अतः नामान्तरकरण संख्या 114 को निरस्त/अस्वीकृत किया जावे।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत रेकॉर्ड जवाब एवं लिखित/मौखिक बहस में व्यक्त तर्कों/अभिकथनों/दृष्टान्तों का अवलोकन कर मनन/विवेचन करने पर यह प्रथमतः पाया जाता है कि हस्तगत नामान्तरकरण में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से रेकॉर्ड में कदीमी खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही है एवं वैधानिक उत्तराधिकार से प्रार्थीगण के नाम अन्तरित होकर उनके नाम का रेकॉर्ड संधारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अभिलेख की पृविष्टियों, राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 एवं काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों, न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्तों, राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं इसकी पालना में राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2010 के दृष्टिगत नामान्तरकरण संख्या 114 स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है। भू.अ.नि./पटवारी हल्का को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजकर नामान्तरकरण की परत पटवार की पुष्ट पर चस्पा करने के निर्देश दिये जाये। आदेश अमल दरामद किया जावे।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 07.09.2020 को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned with CamScanner